(sss/1515/rpm/ru)

1515 hrs.

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (बरहमपुर) :सभापति महोदय, मुझे बोलने के लिए समय देने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

जो दो बिल सरकार द्वारा लाए गए हैं, उनके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। इनमें से एक बिल तो सैस के लिए लाया गया है जिसके अंदर प्रावीजन रखा गया है कि जो कंस्ट्रक्शन कास्ट होगी, उसका एक प्रतिशत धन सैस में जाएगा। दूसरा बिल मजदूरों के कल्याण के लिए लाया गया है। यदि आप आज अनआर्गेनाइज्ड वर्कर के इतिहास को देखें, तो आपको मालूम होगा कि दुनिया के जितने बड़े-बड़े काम हुए हैं और जो हमें आज नजर आते हैं, उनको अनआर्गेनाइज्ड वर्कर्स ने करने का काम किया है और यह भी बड़े अफसोस की बात है कि आज दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है और उन मुल्कों में जहां पर ये बड़े-बड़े कार्य हुए, जैसे चाइना वाल बनी थी या दुनिया के अंदर और बड़े काम हुए या अनआर्गेनाइज्ड वर्कर्स ने या गुलामों ने जो पिरामिड बनाए थे, उन मुमालिग के अंदर भी आज अनआर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए कानून मौजूद हैं, लेकिन अपने डैमोक्रेटिक कंट्री और पार्लियामेंट्री डैमोक्रेसी के मुल्क के अंदर कोई कानून नहीं था। इसलिए अब इस सरकार द्वारा जो यह बिल लाया गया है, इसका मैं समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, बड़े अफसोस की बात है कि आज हिन्दुस्तान में किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर चले जाइए, वहां पर मजदूरों के जो हालात आपको देखने को मिलेंगे वे अच्छे नहीं होंगे, बल्कि उनको देखकर आपको शर्म आएगी। चाहे कहीं कोई बिल्डिंग बन रही हो, या रोड कंस्ट्रक्ट हो रही हो, या दूसरा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो, वहां पर मजदूरों के रहने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। उनके मैडीकल का कोई इंतजाम नहीं है। यदि उनको साइट पर कोई चोट लग जाए, तो उसकी दवा आदि का कोई इंतजाम नहीं है। इस बिल के द्वारा यह प्रस्ताव किया गया है कि साइट के ऊपर ही मजदूर के रहने का इंतजाम होगा।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो बड़े शहर हैं, मुम्बई, कलकत्ता, मद्रास या दिल्ली जैसे शहरों में आज कंस्ट्रक्शन वर्कर्स सड़कों पर सो रहे हैं। उनके रहने का कोई इंतजाम नहीं है। ये जो आज जगह-जगह झुग्गी-झोंपड़ियां देखने को मिलती हैं, मजदूर लोग इनमें रहते हैं। चाहे कलकत्ता हो, मुम्बई हो या दिल्ली झुग्गियों में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ही रहते हैं। इस बिल के अंदर जो प्रावीजन किया

गया है उसके अनुसार इन मजदूरों को रहने के लिए साइट पर ही व्यवस्था की जाएगी। उनके पीने के पानी का इंतजाम होगा। उनकी हैल्थ का, उनके लिए वैक्सीनेशन का इंतजाम किया जाएगा। ये सब सराहनीय काम हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ में यह कहना चाहता हूं कि इसमें जो बोर्ड बनाने की बात रखी गई है और बिल में यह बात कही गई है कि एम्प्लायर के यहां से सैस का पैसा काटा जाएगा तथा बैनीफिशियरी को भी कुछ पैसा देना पड़ेगा तथा इसमें जो 50 मजदूरों का रिस्ट्रिक्शन रखा गया है तथा उस कम्पनी में जिसमें 50 मजदूर काम करते हों और जिसका ड्यूरेशन 12 महीने का हो, उसके ऊपर ही यह कानून लागू होगा, मैं इससे सहमत नहीं हूं क्योंकि फिर क्या होगा कि बड़े-बड़े कांट्रैक्टर छोटे-छोटे कांट्रैक्टरों को रख लेंगे और काम को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट देंगे जिसके कारण आपके बिल की जो भावना है, उसकी पूर्ति नहीं होगी। एक दूसरी बात यह है कि जो मजदूर 5-6 मंजिला बिल्डिंगों में चौथी या पांचवीं मंजिल पर छोटा सा काम वुड का या लोहे का कर रहे होंगे, जो एक साल का न होकर कुछ ही दिन का होगा, आप उन लोगों को इसके द्वारा किस तरह से बैनिफिट देंगे?

(fff/1620/rjs-snb)

इस बिल के अंदर इसका जिक्र जरूरी है। अगर कांट्रैक्टर तीन महीने का कांट्रैक्ट कर लेंगे तो उसके अंदर वह कवर नहीं होगा । इसलिए इन चीजों का इस बिल को अंदर लाने की कोशिश की जाये। वह कम्पनी जो एम्पलायमेंट करती है, उसकी रिस्पोन्सिबिलिटी हो जायेगी कि इस तरह से वर्कर्स की देखभाल, आपने जो स्कीम चलाई है, उसके जरिये हो। आपने कहा कि वेल्फेयर बोर्ड बनेगा। वेल्फेयर बोर्ड के अंदर कुछ सरकारी मुलाजिम होने चाहिए। कुछ बिल्डिंग्स वर्कर्स यूनियन के लोग होने चाहिए। साथ ही आपने कहा कि वूमेन इसमें होंगी। कंस्ट्रक्शन के अंदर काफी वूमेन्स काम करती हैं। मैं चाहूंगा कि जो काम करने वाले लोग हैं, जिसमें 95 प्रतिशत शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। उस बोर्ड के अंदर जहां पर आपने वूमेन्स को रखा है उसके लिए मेरा सरकार से निवेदन है कि जो बोर्ड बनने वाला है, उसके अंदर शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लास का रिप्रजेंटेशन होना चाहिए।

इसमें कहा गया है कि जो बोर्ड बनेगा, उसके मेम्बर, उसके चेयरपर्सन और जो एम्पलाई होंगे, उनका पूरा खर्चा यह बोर्ड वहन करेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो पैसा आने वाला है, जिसका जिक्र हुआ कि 250 करोड़ रुपये या जितने भी आएगा वह मुताल्लिक राज्यों को जायेगा। मुझे एक चीज का शक होता है कि कहीं इस चीज का पैसा

आफिसर्स और मेनजमेंट पर न खर्च हो जाये। जो बेनेफिट हम लोग लेना चाहते है, उसको लिमिट में रखा जाये। जो भी एम्पलाई हो, उसमें लिमिटेशन जरूरी होगा। अगर इसके जो हमारे मजदूर भाई हैं, उनको फायदा नहीं पहुंच पायेगा। इसके अंदर जो जिक्र किया गया है रिट्रेंचमेंट या फिर जैसे कोई लेबर को हमने हायर किया। हायर करने के बाद जो ट्वैल्व मंथ वाले हैं, वही लोग इसमें कवर होंगे। वे लोग जो डेली वेजेस पर काम करने वाले हैं, आप उनमें से किसी की भी सेलरी देख लीजिये. 30 से 35 रुपये प्रतिदिन है। उनसे एक सप्ताह 30 से 35 रुपये में काम लिया और उसके बाद कहा कि आप रास्ता नाप लीजिये नहीं तो तीन महीने के बाद किसी एम्पलाई को नोटिस दे दिया।

एम्पलाई को इसकी गारंटी किस तरह से हो। एम्पलाई होने के बाद उसकी सिक्योरिटी हो जाये, इसके लिए जरूरी है कि कम से कम जब कोई एम्पलायर एम्पलाई करता है तो उसे तीन महीने के बाद एक महीने का नोटिस दे कि हम आपको एक महीने के बाद निकालने जा रहे हैं। आप कहीं और नौकरी तलाश कर लीजिये और कम से कम उनको एक महीने की सेलरी मिलनी चाहिए। आज इसके अंर प्रोविजन किया गया है कि संडे होगा, हफ्ते में एक दिन छुट्टी दी जायेगी लेकिन इसके अंदर जो नेशनल होलीडे या दूसरे होलीडे हैं, लेबर को छुट्टी का प्रोविजन विथ सेलरी होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस का मामला है, वह भी लेबर को करवाना चाहिए।

मैं एक दो बातें और कहना चाहता हूं। जोसा कि हमारी साथी ने कहा कि यह न चिकन है और न फिश है, यह तो मटन है। इसके अंदर फैट भी है और प्रोटीन भी है। मैं इसका इसलिए स्वागत करता हूं कि आजादी के बाद पहली बार अनऔर्गनाईज्ड लेबर या कंस्ट्रक्शन लेबर के लिए एक बिल पार्लियामेंट में आया है। इसके अंदर फ्यूचर में अमेंडमेंट आ सकते हैं लेकिन मैं इस सदन से और इस सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल जिस तरह से आया है, इसको वेल्फेयर के लिए पास किया जाये और कोई अमेंडमेंट आना है तो बाद में आये। मैं यह समझता हूं कि जो कंस्ट्रक्शन लेबर्स हैं, जो सड़कों पर रह रहे हैं, उनको यह बिल फायदा पहुंचाने का काम करेगा।

(इति)